बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

ई–मेल

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक : बी1–3–9 / 2019– 352 पटना, दिनांक 24 जनवरी, 2020 ई०।

प्रेषक

बैजूनाथ कुमार सिंह,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार।

विषय :– Postal ballot voting facility for "Absentee Voters" to vote through postal ballot Amendment in the Rules-regarding.

प्रसंग:– भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक 3/4/ 2019/SDR/Voll-VI दिनांक 15.01.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ किया जाये। उक्त प्रसांगिक पत्र द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने Postal ballot voting facility for "Absentee Voters" to vote through postal ballot Amendment in the Rules से संबंधित विधि और न्याय मंत्रायल (विधायी विभाग) द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है कि प्रति संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है।

अतः भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र प्रति संलग्न करते हुये निदेशानुसार अनुरोध है कि पत्र में अंकित निर्देशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

यह भी अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की उपर्युक्त पत्र की प्रति अपने जिला अन्तर्गत सभी निर्वाची पदाधिकारी / सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा अन्य निर्वाचन से संबंधित संलग्न पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा साथ ही सभी राजनैतिक दलों के मध्य उक्त अधिसूचना को प्रचारित–प्रसारित करने कृपा की जाये।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

24.1.2020

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक :– बी1–3–9 / 2019– 352 पटना, दिनांक 24 जनवरी, 2020 ई0।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार राज्य को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

24.1.2020

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक :– बी1–3–9 / 2019– 352 पटना, दिनांक 24 जनवरी, 2020 ई0।

प्रतिलिपि : सभी उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार / सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी / सभी प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

24.1.2020

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

890-22-1-20

86/CEO 21/01/20

(279)

Speed Post/E-mail

DyCEO(AP)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.3/4/2019/SDR/Vol.IV Dated: 15th January, 2020

Dy CEO(BKS)

To,

The Chief Electoral Officers
all States and Union Territories.

Sub: Postal ballot voting facility for "Absentee Voters" to vote through postal ballot- Amendment in the Rules- regarding.

Sir,

I am directed to refer to state that on the proposal of the Commission, the Law Ministry vide Notification S.O. no. 3786(E) dated 22nd October, 2019 (copy enclosed) and corrigendum, has amended Part IIIA of the Conduct of Elections Rules, 1961 to provide option of Postal ballot voting to the 'Absentee Voters', i.e. those electors an essential services and are not able to be present in polling station on the day of poll on account of demands of their duties, senior citizens (80 plus years) and persons with disabilities (PwD) already flagged in the rolls, as may be notified by the Commission under Section 60(c) of Representation of People Act 1951. For availing the facility, such electors have to submit application, in newly inserted Form 12D, to the Returning Officer within 5 days after the date of notification of election.

A corrigendum dated 19th November, 2019 (copy enclosed) rectifying some printing errors in the above said Notification dated 22nd October, 2019 is also enclosed herewith.

instructions and Guidelines in this regard will be issued separately

This may be informed to all ROs/AROs, all concerned election officials and Political Parties based in your state.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(N.T.Bhutia)
Secretary

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3434]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941
No. 3434]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3786(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 60 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 18 के खंड (क) के उपखंड (IV) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(V) अधिनियम की धारा 60 के खंड (ग) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति, जिनके अंतर्गत अनुपस्थित मतदाता भी हैं,";

3. उक्त नियमों के नियम 27क में-

(अ) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(कक) "अनुपस्थित मतदाता" से व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 60 के खंड (ग) के अधीन अधिसूचित किया जाए और जो उक्त अधिसूचना में यथा-वर्णित आवश्यक सेवाओं में नियोजित है, और इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग व्यक्तियों के वर्ग का निर्वाचक भी है;

(कख) "नोडल अधिकारी" से ऐसे किसी अनुपस्थित मतदाता के दावे के सत्यापन के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो किसी ऐसे वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग व्यक्तियों के वर्ग का निर्वाचक नहीं है;

277

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3724] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2019/कार्तिक 28, 1941

No. 3724] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2019/KARTIKA 28, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2019

का.आ. 4148(अ).—भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. सं. 3786(अ) तारीख 22 अक्तूबर, 2019 में—

पृष्ठ सं.	पंक्ति (यां) सं.	के स्थान पर	पढ़ें
2	14	प्रारूप 12	प्ररूप 12ग
3	9	कैम्प/मौहल्ला/टैंट संख्या	कैम्प/मौहल्ला/ग्राम

[फा. सं. एच-11019/6/2019-वि.2]

डॉ. रीटा वशिष्ट, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th November, 2019

S.O. 4148(E).—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Law and Justice *vide* S.O. No. 3786(E) dated the 22nd October, 2019 —

Page No.	Line (s) No.	*For*	*Read*
5	8	Form 12	Form 12C
5	40	Camp/Mohalla/tent number	Camp/Mohalla/village

[F. No. H-11019/6/2019-Leg.II]

Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.

5956 GI/2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA

State..................................PIN CODE......................

Mobile Phone No. (if available)..

My name is entered at serial number.............in Part No...............of the electoral roll for

....Parliamentary/Assembly constituency.

I am working as..........................(designation of the office held) in..

(Name and full address of organization).

I will be on duty in the above-mentioned office on the day of poll for the above-mentioned election.

*On account of my official duties on the date of poll, I will not be in a position to be present in the polling station assigned to me on the day of poll.

OR

*I am ....years of age/am a person with disability, and am not in a position to go to the polling station to cast vote.

It is requested that postal ballot paper may be issued to me as absentee voter for the above election.

Yours faithfully,

....

(Full name and signature)

PART II

(for absentee voter other than senior citizen or persons with disability)

Certificate by the nodal officer appointed by the Organisation concerned.

It is hereby certified that the particulars given by the applicant in Part I are correct, and it is further certified that the applicant will be on official duty on the day of poll, and he/she will not be in a position to be present in the polling station on the day of poll.

....

(full signature of the attesting Officer)

......................................(Name)

......................................(address)

..............................(rubber stamp)

- Strike off whichever is not applicable and tick the relevant statement.

Note - This Application must reach RO within 5 days following the date of notification of election."

[F. No. H-11019(6)/2019-Leg.II]

Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 859, dated the 15th April, 1961 and were last amended *vide* number S.O. 1022(E), dated the 26th February, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA

(आ) खंड (ख) में "अभिप्रेत है जो", से शब्दों के पश्चात् "अनुपस्थित मतदाता से भिन्न " शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे,

(इ) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(ग) "दिव्यांग व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्वाचक नामावली के लिए डाटाबेस में दिव्यांग व्यक्ति के रूप में दर्शित है;

(घ) "मतदाता अधिकारी" से वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग व्यक्तियों के वर्ग के निर्वाचक को डाक मतपत्र जारी करने के लिए नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड.) इस भाग के प्रयोजन के लिए "वरिष्ठ नागरिक" से ऐसा निर्वाचक अभिप्रेत है जो अनुपस्थित मतदाताओं के वर्ग का अस्सी वर्ष से अधिक आयु का है;"

4. उक्त नियमों के नियम 27ग में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परतुंक रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि अनुपस्थित मतदाता के मामले में, आवेदन प्ररुप 12घ में किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट होंगी जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं तथा वह वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग व्यक्तियों से भिन्न, अनुपस्थित मतदाता के लिए नोडल अधिकारी द्वारा सम्यक रुप से सत्यापित होगा, जो रिटर्निंग आफिसर के पास निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से अनुगामी पांच दिन के भीतर पहुंच जाएगा;"

"परंतु यह भी कि प्ररुप 12ग या प्ररुप 12घ में ऐसा आवेदन जिसके साथ प्रारूप 12 या प्ररूप 12घ के भाग 2 के अधीन यथा अपेक्षित प्राधिकृत अधिकारी या नोडल अधिकारी का प्रमाणपत्र नहीं है, रद्द कर दिया जाएगा;"

5. उक्त नियमों के नियम 27ड. के उपनियम (1) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि अनुपस्थित मतदाता के मामले में, डाक मतपत्र ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो निर्वाचन आयोग द्वारा विनर्दिष्ट की जाए।"

6. उक्त नियमों के नियम 27च के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) अनुपस्थित मतदाता के मामले में, मत को ऐसे केन्द्र में अभिलिखित किया जाएगा, जो निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए:

परंतु वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग व्यक्तियों के वर्ग के अनुपस्थित मतदाता के मामलें में, प्ररुप 13क में घोषणा का अनुप्रमाणन मतदान आफिसर द्वारा किया जाएगा।"

7. उक्त नियमों के नियम 27झ के उप-नियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु अनुपस्थित मतदाता के मामले में, निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किसी निदेश के अधीन रहते हुए, डाक मतपत्र, नियम 27च के उपनियम (3) के अधीन मत को अभिलिखित करने के लिए उपबंधित केन्द्र को लौटा दिया जाएगा।"।

8. उक्त नियमों में "प्ररुप 12 ग" के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"[प्ररुप 12 घ]

[नियम 27 ग देखिए]"

भाग 1

सहायक रिटर्निंग आफिसर को सूचना के बारे में पत्र (अनुपस्थित मतदाताओं के लिए)

सेवा में,

सहायक रिटर्निंग आफिसर

(अधिसूचित वर्ग के निर्वाचकों के लिए)

......................संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

....................(सहायक रिटर्निंग आफिसर का पदनाम और पता)

महोदय,

मैं.................पुत्र/पुत्री/पत्नी.......................................

निवासी ग्राम / मोहल्ला ....

शहर /नगर /तहसील ....जिला..................

(राज्य) अनुपस्थित वर्ग का मतदाता हूं और ....निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा/विधान सभा के निर्वाचन में डाक द्वारा अपना मतदान करना चाहता हूं।

मेरा डाक का पूरा वर्तमान पता निम्नलिखित है –

गृह/ निवास गृह/ टैंट संख्या.................................

कैम्प /मोहल्ला/.टैंट संख्या.......................

वार्ड/नगर/तहसील

जिला........................

राज्य...................... पिन कोड..............................

मोबाइल फोन नं. (यदि उपलब्ध हो) ....

मेरा नाम......................संसदीय/ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ....के क्रम संख्या ....पर दर्ज है।

मैं ....(धारित पदनाम) के रुप में ....(संगठन का नाम और पूरा पता) में कार्यरत हूं।

मैं उपर वर्णित निर्वाचन के लिए मतदान के दिवस को ऊपर वर्णित कार्यालय में ड्यूटी पर कार्यरत रहूंगा।

- मतदान की तारीख को मेरी शासकीय ड्यूटी के कारण, मैं मतदान के दिवस को मेरे लिए नियत मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने की स्थिति में नहीं रहूंगा।

या

**मैं ....वर्ष की आयु का हूं/दिव्यांग व्यक्ति हूं, और मैं मतदान करने के लिए मतदान केन्द्र तक जाने की स्थिति में नहीं हूं।

यह अनुरोध है कि मुझे उपरोक्त निर्वाचन के लिए अनुपस्थित मतदाता के रुप में डाक मतपत्र जारी किया जाए।

भवदीय

....

(पूरा नाम और हस्ताक्षर)

भाग 2

(वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग व्यक्तियों से भिन्न अनुपस्थित मतदाता)

संबंधित संगठन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैकि भाग 1 में आवेदक द्वारा दी गई विशिष्टियाँ सही हैं और यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक मतदान के दिवस को शासकीय ड्यूटी पर होगा/होगी और वह मतदान के दिवस को मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने की स्थिति में नहीं होगा/होगी।

....

(सत्यापन अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर)

(273)

....नाम

....पता

....(रबर की मुद्रा)

जो लागू न हो उसे काट दें तथा सुसंगत कथन पर चिह्न लगाएं।

टिप्पण: यह आवेदन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से अनुगामी 5 दिन के भीतर रिटर्निंग आफिसर तक पहुंच जाना चाहिए।

[फा. सं. एच-11019(6)/2019-वि. 2]

डॉ. रीटा वशिष्ट, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थी और संख्यांक का.आ.1022(अ) तारीख 26 फरवरी, 2019 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2019

S.O. 3786(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 60 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Election Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Conduct of Elections Rules, 1961(hereinafter referred to as "the said rules"),

in rule 18, in clause (a), after the sub-clause(iv), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(v)persons notified under clause (c) of section 60 of the Act, including absentee voters;";

3. In the said rules, in rule 27A—

(A) after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(aa) 'absentee voter' means a person belonging to such class of persons as may be notified, under clause (c) of section 60 of the Act, and who is employed in essential services as mentioned in the said notification, and includes an elector belonging to the class of senior citizen or persons with disability;

(ab) 'nodal officer' means an officer authorised to verify the claim of an absentee voter not being an elector belonging to the class of senior citizen or persons with disability;

(B) in clause (b), for the words, "the Act.", the words "the Act, other than an absentee voter" shall be inserted;

(C) after clause (b), the following clauses shall be inserted, namely:-

(c) 'person with disability' means a person flagged as person with disability in the data base for the electoral roll;

(d) 'poll officer' means the officer deputed to issue postal ballot to elector belonging to the class of senior citizen or persons with disability;

(e) 'senior citizen' for the purpose of this Part means an elector belonging to the class of absentee voters and is above 80 years of age."

4. In the said rules, in rule 27C, for the second proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided further that in case of an absentee voter, the application shall be made in Form 12D, and shall contain such particulars as specified therein, and shall be duly verified by the Nodal Officer for the absentee voter, other than senior citizen or persons with disability, which shall reach the Returning Officer within five days following the date of notification of election;

Provided also that an application in form 12C or 12D without a certificate from the authorised officer or nodal officer as required under Part II of Form 12 or 12D shall be rejected;"

5. In the said rules, in rule 27E, in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that in the case of absentee voter, the postal ballot paper shall be issued in such manner as may be specified by the Election Commission."

6. In the said rules, in rule 27F, after sub-rule(2), the following shall be inserted, namely:-

"(3) In the case of an absentee voter, the recording of vote shall be made in such centre as may be specified by the Election Commission:

Provided that in the case of absentee voter in the class of senior citizen or persons with disability, the attestation of declaration in Form 13A shall be done by the poll officer.";

7. In the said rules, in rule 27-I, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in the case of absentee voter, postal ballot paper shall be returned to the centre provided for recording of vote under sub-rule(3) of rule 27F, subject to any direction that may be issued by the Election Commission in this behalf.".

8. In the said rules, after "FORM 12C", the following Form shall be inserted, namely:-

"[FORM 12D]

[See rule 27-C)

PART I

Letter of intimation to Assistant Returning Officer

(for absentee voters)

To

The Assistant Returning Officer,

(for the notified class of electors)

.....................................Parliamentary/Assembly constituency

.....................................(designation and address of ARO)

Sir,

I................son/daughter/wife of............resident of....................village/mohalla...................

Town/city/tehsil....................District.....................(State) belong to the class of absentee voter and wish to cast my vote by post at the election to the House of the People/Legislative Assembly from the ....Parliamentary/Assembly constituency.

My complete present postal address is as under:-

House/dwelling unit/tent number...

Camp/mohalla/tent number ....

Ward/town/tehsil...

District...